18/04/23 पत्रावली पेश हुई। मंत्रालयिक कर्मचारी हड़ताल में होने के कारण पत्रावली आइन्दा दिनांक 24/04/23 को पेश हो।

24/04/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 CPC का पेश ~~किया~~ ~~[illegible]~~ कर निवेदन किया कि विप्रार्थी सं. 22 व 25 फौत है जिनके कायम मुकाम पहले से ही रेकर्ड पर है इसलिये विप्रार्थी स. 22 व 25 का नाम आवेदन से हटाने का आदेश फरमावें। प्रार्थी वकील का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी सं. 22 व 25 के नाम हटाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थी वकील ने संशोधित शीर्षक पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त होने के बावजूद कोई उप. नहीं हुआ अत: उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न लिखित दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है। अत: नेखमवंदी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(signature)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर
राजस्व आवेदन सं 271/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट
नरसिंगाराम वगैरा बनाम केवला वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस
प्रार्थी वकील – श्री ज्येष्ट कुमार

निर्णय

दिनांक –24/04/23

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सारला भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा हुसैन का तला के खेत खसरा संख्या 390/306 रकबा 3.9983 हैक्ट. किस्म बा.सो. स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। विप्रार्थीण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सारला भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा हुसैन का तला के खेत खसरा संख्या 390/306 रकबा 3.9983 हैक्ट. स्थित है। स्थित की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।
तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक ....को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी,सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1.नरसिंगाराम पुत्र देवाराम 2. रामुदेवी पत्नी देवाराम 3. रामाराम पुत्र पनाराम 4. वगताराम पुत्र पनाराम 5. दती पत्नी पनाराम जातियान जाट निवारी हुसैन का तला तह. सेड़वा जिला बाड़मेर	बनाम	1. केवला पुत्र सिमरथा 2. थिरा पुत्र सिमरथा 3. नेमा पुत्र पुत्र सिमरथा 4. भूरा पुत्र सिमरथा 5. भोमा पुत्र सिमरथा 6. मंगला पुत्र सिमरथा 7. रेखा पुत्र सिमरथा 8. राजू पुत्र सिमरथा 9. लाछी पत्नी सिमरथा 10. चनणी पत्नी सिमरथा 11. केसाराम पुत्र पुरखाराम 12. मेघाराम पुत्र पुरखाराम 13. लूणाराम पुत्र पुराराम 14. रामाराम पुत्र हीराराम 15. पन्नीदेवी पत्नी हीराराम 16.केशीदेवी पत्नी पेलादाराम 17.चुनी पुत्री पेलादाराम 18. वर्षा पुत्र पेलादाराम 19. भारूराम पुत्र मघाराम 20. देवाराम पुत्र मघाराम 21. डुगराराम पुत्र मघाराम 22. राजाराम पुत्र मघाराम 23. रेखीदेवी पुत्री मघाराम जातियान जाट निवासी हुसैन का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 24 तहसीलदार सेड़वा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

दिनांक : 24/04/23

राजस्व आवेदन संख्या 271/2022

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सारला भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा हुसैन का तला के खेत खसरा संख्या 390/306 रकबा 3.9983 हैक्ट.किस्म बा.सो. के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा
दिनांक 24/04/23

क्रमांक/भू.अ./2023/687-90
प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी नरसिंगाराम पुत्र देवाराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण केवला पुत्र सिमरथा वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) से...

सेड़वा